रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2010/चैत्र 11, 1932
No. 79] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2010/CHAITRA 11, 1932

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2010

फा. सं. 48-3(1)/2008/रा.अ.शि.प.(एन एण्ड एस).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 32 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के मानक और क्रियाविधि) विनियमन, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

1. ये विनियमन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के मानक और क्रियाविधि संशोधन) विनियमन, 2010 कहलाएंगे ।

2. ये विनियमन राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के मानक और क्रियाविधि) विनियमन, 2009 में विनियमन 8 में, उप-विनियमन (5) में,—

(क) शब्द, अंक और अक्षर "1 अप्रैल, 2010" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "1 अप्रैल, 2011" प्रतिस्थापित होगा;

(ख) शब्द और अंक "सत्र 2010-11" के स्थान पर शब्द और अंक "सत्र 2011-12" प्रतिस्थापित होगा ।

हसीब अहमद, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/4/131/09-असा.]

टिप्पण :—मूल विनियमन सं. 51-1/2009-रा.अ.शि.प. (एन एण्ड एस) दिनांक 31 अगस्त, 2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशत किया गया था ।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2010

F. No. 48-3 (1)/2008/NCTE (N & S).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations to amend the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, namely :—

1. These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedures Amendment) Regulations, 2010.

2. They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

3. In the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulation, 2009, in regulation 8, in sub-regulation (5),—

(a) For the words, figures and letters "the 1st day of April, 2010", the words, figures and letters "the 1st day of April, 2011" shall be substituted;

(b) For the words and figures "Session 2010-2011", the word and figures "session 2011-2012" shall be substituted.

HASIB AHMAD, Member-Secy.

[ADVT III/4/131/09-Exty.]

Note :—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* number F. 51-1/2009-NCTE (N&S), dated the 31st August, 2009.

1199 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

1252